तारीख हुक्म	बांकेलाल बनाम ग्राम पंचायत ... हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज अपील निगरानी नं० ... 3/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	12-12-22 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन उप./अनुपखण्ड/पंचायत अधिकारी दौरे/अन्य कार्य से व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21-12-22 को पेश हो।	
21.12.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील अपीलान्ट एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 26.12.2022 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)	
26.12.2022	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 26/12/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03/2020	2020/0160	07.09.2020	26.12.2022

उनवान प्रकरण

शंकरलाल पुत्र स्व0 सत्यनारायण पौत्र स्व0 गोपी आयु 63 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—प्रार्थी/अपीलान्ट—

बनाम

1. ग्राम पंचायत कंचनपुर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. बजरंगलाल पुत्र स्व0 प्रहलाद आयु 40 वर्ष
3. छोटी देवी पत्नि प्रहलाद आयु 75 वर्ष
4. रामचन्द्र पुत्र गोपी आयु 63 वर्ष
5. सुरजा पुत्र गोपी आयु 60 वर्ष
   समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
6. रोहिताश पुत्र घासी आयु 30 वर्ष जाति यादव निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 **(नाम हजफ दिनांक 21.11.2022)**
7. पटवारी हल्का कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
8. उपपंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
9. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

—रेस्पोडेन्ट्स—

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 29.11.1978 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत कंचनपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्टस् के इस आशय से प्रस्तुत की है कि ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के नवीन भूमि ख0 न0 490 रकबा 0.97 है0 जिसके पुराने ख0 न0 291 रकबा 4 बीघा भूमि रहे हैं। जिसकी खातेदारी सम्वत् 2034 से 2037 तक अपीलान्ट के दादा गोपी पुत्र भींवा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही हैं। उक्त वर्णित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 5 की पैतृक मौरूसी कृषि भूमि होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि हैं। सजरा खानदान के मुताबिक गोपी के चार पुत्र कमशः सत्यनारायण, प्रहलाद, रामचन्द्र, सुरजा उत्पन्न हुये हैं परन्तु वरवक्त विरासत दर्ज करते समय गोपी के पुत्र सत्यनारायण का नाम राजस्व कर्मचारियों यथा तत्कालीन पटवारी द्वारा बाला—बाला व गुपचुप में गोपी की विरासत दर्ज करते समय अपीलान्ट के पिता सत्यनारायण व अपीलान्ट का नाम बराज कराई गलत अवैध रूप से छिपाकर केवल मात्र तीन पुत्रों के नाम दर्ज करते हुये नामान्तकरण तात्कालीन सरपंच द्वारा अपीलान्ट के पिता का हिस्सा हडप करने की नियत से दर्ज नही किया गया जिससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट निम्न लिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है— रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने के अपास्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा गफलत व लापरवाहीपूर्ण तरीके से दर्ज किये गये नामान्तकरण की बिना काई जांच किये बाला—बाला व गुपचूप में मिलीभगत से नामान्तकरण दर्ज कर अपीलान्ट के पिता का नाम विरासत से छुपाया गया हैं। अपीलान्ट का पिता सत्यनारायण गोपी का पुत्र होने के बावजूद भी विरासत में नाम दर्ज नही कर विधि के विपरित दर्ज नामान्तकरण स्वीकृत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण मजमे आम में कार्यवाही नही कर समस्त कार्यवाही बाला—बाला व गुपचुप में नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जिसकी सूचना या कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जांच नही की गयी है ना ही अपीलान्ट को इस बाबत कोई सूचना ही दी गयी। उक्त भूमि में अपीलान्ट के पिता का विधिक हक हिस्सा निहित होने के बावजूद भी आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकार करने में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा भयंकर भूल की हैं। इस कारण भी नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है। नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिक न्याय व प्रचलित विधि व विरासत के नियमों के प्रतिकूल होने से भी नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट मजूदरी के सिलसिले में बाहर महाराष्ट्र में रहता है व कभी कभार ही राजस्थान आता जाता हैं। इस कारण अपीलान्ट को उक्त गलत नामान्तकरण व गलत खातेदारी बाबत पूर्व से कोई जानकारी नही हो सकी है। क्योकि अपीलान्ट का अपने हिस्से 1/4 पर कब्जा काश्त शुरू से चला आ रहा है। अपीलान्ट का कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा हैं। वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि में बाजरे की फसल काश्त कर रखी है। भाईयों में आपस में सोहार्दपूर्ण संबंध चले आ रहे थे। इसी कारण अपीलान्ट द्वारा कोई खोजबीन या तहकीकात भी इस बारे में नही की गयी परन्तु दिनांक 30.08.2020 को अपीलान्ट ने भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से संपर्क किया तो उन्होने भूमि में अपीलान्ट के पिता या अपीलान्ट का नाम दर्ज नही होना जाहिर किया तब अपीलान्ट ने नकल नामान्तकरण व जमाबंदी वर्तमान व पुराना रिकार्ड की नकल दिनांक 02.09.2020 को प्राप्त होने पर प्रथम बार अपीलान्ट को उक्त साजिशी कार्यवाही का प्रथम बार ईल्म हुआ है। इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी इस बाबत नही हो सकी हैं। अपीलान्ट ने रिकार्ड आदि की नकल प्राप्त कर रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 से इस बाबत चर्चा की व ओलमा दिया तो रेस्पोडेन्टस संख्या 5 ने एलानियां धमकी दी कि मैंने मेरा संपूर्ण हिंस्से का बेचान कर दिया हैं। शीघ्र ही हम शेष बची संपूर्ण भूमि का बेचान अन्य भूमाफिया लोगो को अन्तरण कर भूमि को खुर्द बुर्द कर जबरन कब्जा करवाकर रहेंगे। रेस्पोडेन्टस द्वारा भूमि का बेचान, रहन कर जमीन को खुर्द–बुर्द किये जाने का पूरा अंदेशा है। इसी कारण मजबूर होकर अपीलान्ट को यह अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अपील जानकारी से अविलम्ब अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत होने में देरी हुयी हैं। उस बाबत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore
26/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बाबत डिले कन्डोन अपील को मियाद में शुमार हेतु प्रस्तुत किया जाकर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। रेस्पोडेन्टस नम्बर 7 ता 9 गलत नामान्तकरण की आड में रेस्पोडेन्टस संख्या 5 द्वारा अपने हिस्से संपूर्ण का बेचान रेस्पोडेन्टस संख्या 6 के हक में पंजीबद्ध कराकर रिकार्ड में परिवर्तन करने पर तत्पर हैं। इस कारण आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे रेस्पोडेन्टस बनाया गया हैं। रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 ता 5 के नाम गलत खातेदारी की आड में भूमियों की दीगर व्यक्तियों को बेचान करने व अन्य किसी को अन्तरण लेख द्वारा भूमियों को खुर्द-बुर्द या भूमाफिया लोगो का जबरन कब्जा कराये जाने का प्रबल अदेंशा होने से अपीलान्ट के हक हकुक गंभीर रूप से जाहिल होंगे अपीलान्ट अपने विधिक हक हिस्से की भूमि से महरूम हो जावेगा। इस कारण उक्त गलत व अवैध कार्यवाही बाबत रेस्पोडेन्टस को रोका जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है अन्यथा कानूनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी व आपसी रंजिश बढकर खून खराबा होने का प्रबल अंदेशा है। इस कारण उक्त गैरकानूनी नामान्तकरण जो बसाज स्वीकृत किया गया हैं वह निरस्त होने योग्य हैं। ऐसी स्थिति में सभी रेस्पोडेन्टस को इस हेतु प्रतिबंधित किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं । अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेंदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 245 स्वीकृत दिनांक 29.11.1978 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कांचरडा(कंचनपुर) पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को उसके विधिक हक हिस्से 1/4 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन अपीलान्ट द्वारा अपने अपील नामान्तकरण में की गई है।

इस पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टस् को [illegible] व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने [illegible] रेस्पोडेण्टस संख्या 1 लगायत 5, 8 व 9 की तामील सम्[illegible] है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 लगायत 5, [illegible] व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 का नाम हजफ किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 का नाम हजफ किये जाने की स्वीकृति दी गई। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से अपील में दर्ज तथ्यों के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट ली गई। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से जरिये पत्रांक ग्रा.प./2021-22/166 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण मे वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 लगायत 5, 8 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाने व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 का नाम हजफ करवा लिये जाने तथा सरपंच ग्राम पंचायत कचनपुरा के द्वारा वस्तुस्थिति की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील अपीलान्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2034-2037, 2074-2077, नामान्तकरण संख्या 245, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रैस, मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यनारायण कुमावत व नोजी कुमावत, सरपंच ग्राम पंचायत कचनपुर द्वारा प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् के पूर्वज गोपी पुत्र भीवा कौम कुम्हार के नाम से खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें गोपी पुत्र भीवां की मृत्यु होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 245 के द्वारा विरासत [illegible] प्रहलाद, [illegible] सुरजा पिता गोपी के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट हो[illegible] में खातेदारी प्रहलाद, मु. नोजी, रामचन्द्र, सुरजा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

26/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार गोपी के वारिसान नंजी, सत्यनारायण, प्रहलाद, रामचन्द्र, सुरजा होकर एक ही परिवार खानदान से होने से उक्त भूमियाँ खातेदारान की पारिवारिक पैतृक भूमियाँ होना प्रकट होता है।

सरपंच, ग्राम पंचायत कचंनपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में गोपी पुत्र भींवा जाति कुम्हार निवासी कचंनपुर के नंजी पत्नि, बोदू उर्फ सत्यनारायण– पुत्र, प्रहलाद– पुत्र सभी फौत, रामचन्द्र– पुत्र, सुरजा– पुत्र थें। जिसमें शंकरलाल कुमावत बोदू उर्फ सत्यनारायण के पुत्र व गोपी पुत्र भींवा के पौत्र होकर बोदू उर्फ सत्यनारायण के जायन्दा वारिस होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। जिससे भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तरण में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत कचंनपुर, पचांयत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 29.11.1978 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को उसके विधिक हक हिस्से 1/4 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाती है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत काचंरड़ा (कचंनपुर) पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर को नामान्तकरण संख्या 245 स्वीकृत दिनांक 29.11.1978 को अपास्त किया जाता है तथा [illegible] खसरा नम्बर 490 रकबा 0.97 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम [illegible] 1/4 हिस्से की [illegible] दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार खातेदारी अपीलान्ट के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

26/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्री[illegible]धोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/12/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested